प्र.स.:– 09 / 2022
दायर दिनांक 15.06.2022
निर्णय दिनांक :– 24.05.2023

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लवाण जिला दौसा

(प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 कैम्प ग्राम पंचायत खानवास)

पीठासीन अधिकारी का नाम :– मिथलेश मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 09 / 2022

प्रकरण दायर दिनांक :– 15.06.2022

रेवडमल महावर पुत्र बद्रीनारायण जाति कोली निवासी मलवास तहसील नांगाल राजावतान जिला दौसा।

(प्रार्थी)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील लवाण जिला दौसा राजस्थान।

(अप्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढी कराने बाबत

उपस्थितिः– पैरोकार सरकार

:: निर्णय :: दिनांक : 24.05.2023

उक्त प्रकरण में संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि :–

1. यह है कि प्रार्थी ग्राम मलवास तहसील नांगल राजावतान का रहने वाले है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मण्डेडा सुनारपुरा तहसील लवाण में स्थित है।
2. यह है कि ग्राम माण्डेडा सुनारपुरा तहसील लवाण में आराजी खसरा नम्बर 561/2 रकबा 0.78 है0, खसरा नम्बर ... है0 व खसरा नम्बर 452 रकबा 0.31 है0, खसरा नम्बर 561/1 रकबा ... हैक्टयर स्थित है। प्रार्थी भूमि रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है। तथा जमाबंदी में खातेदारी दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.07 11:11:16 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर
लवाण

प्रशासन गांवो के संग
अभियान 2023

प्र.स.:– 09/2022
दायर दिनांक 15.06.2022
निर्णय दिनांक :– 24.05.2023

3. यह है कि उपरोक्त आराजीयात के आसपास के पडौसी काश्तकार आये दिन सीमा संबंधी अनावश्यक रूप से सीमा संबंधी विवाद करते है। प्रार्थी ने उपरोक्त आराजीयात का सीमाज्ञान भी दिनांक 27.04.2022 को करा लिया इसके बावजूद भी विवाद उत्पन्न करते है। इसलिए प्रार्थी अपनी आराजीयात की वास्तविक पैमाईश कराकर भूमि की सीमाओं पर चारो तरफ पत्थर गाढकर पत्थरगढी के निशानात कायम करवाना चाहता है ताकि भविष्य में कोई विवाद ना हो।

4. यह है कि तहसीलदार लवाण को निर्देश फरमाया जावे कि वे राजस्व कर्मचारियों की टीम गठित कर आराजीयात की पुलिस सहायता से वास्तविक पैमाईश करवाकर भूमि के चारो तरफ सीमाओं पर पत्थर गाढकर पत्थरगढी के

5. यह है कि प्रार्थना पत्र की सुनवाई का श्रवणाधिकार क्षेत्राधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार लवाण को आदेश व निर्देश फरमाया जावे कि वे राजस्व कर्मचारियों की टीम गठित कर पुलिस सहायता से ग्राम माण्डेडा सुनारपुरा तहसील लवाण में स्थित आराजी खसरा नम्बर खसरा 561/2, 576, 452, 561/1 भूमि की वास्तविक पैमाईश कर उक्त कृषि भूमि के चारो तरफ पत्थर गाढकर पत्थरगढी के निशानात कायम करे। ताकि भविष्य में सीमा संबंधी कोई विवाद न रहे। अन्य अनुतोष जो न्यायहित में हो प्रार्थीगण के पक्ष में दिलवाया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम–1956 न्यायालय में प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 कैम्प स्थल ग्राम पंचायत खानवास में रखा गया। तहसीलदार लवाण की जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार लवाण ने अपने पत्रांक: भू.अ./2023/221 दिनांक [illegible] के द्वारा प्रकरण में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया है कि खसरा नम्बर 561/2, खसरा नम्बर 476, खसरा नम्बर 452, खसरा नम्बर 561/1 रकबा क्रमशः 0.78, [illegible], 0.31, 0.09 वाके ग्राम माण्डेडा सुनारपुरा जमाबंदी सम्वत 2076–79 (वर्ष 2019 [illegible] स्थायी) के खाता संख्या 34 एवं 171 रेवडमल पुत्र बद्रीनारायण जाति महावर के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.07 11:11:16 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर
लवाण

प्रशासन गांवो के संग
अभियान 2023

प्र.स.:— 09/2022
दायर दिनांक 15.06.2022
निर्णय दिनांक :— 24.05.2023

है। उक्त खसरा नम्बरान पूर्व में सीमाज्ञान किया जा चुका है। उक्त खसरा नम्बरान पर किसी भी न्यायालय का स्थगन दर्ज रिकार्ड नही है। उक्त खसरा नम्बरान की पत्थरगढी के आदेश जारी किये जाते है, तो कोई आपत्ति नही है।

हमने तहसीलदार लवाण से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 24.05.2023 व पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त ग्राम माण्डेडा सुनारपुरा तहसील लवाण के आराजी खसरा नम्बर 561/2 रकबा 0.78 है0, खसरा नम्बर 576 रकबा 0.47 है0 व खसरा नम्बर 452 रकबा 0.31 है0, खसरा नम्बर 561/1 रकबा 0.09 हैक्टयर भूमि रेवड मल महावर पुत्र ब्रदीनारायण हिस्सा—पूर्ण जाति कोली सा. मलवास खातेदार रहिन (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा लवाण के नाम दर्ज है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान मौका पर्चा रिपोर्ट पटवारी हल्का माण्डेडा सुनारपुरा एवं पटवारी हल्का खानवास के अनुसार दिनांक 27.04.2022 को किया गया, जहाँ मौके पर भू—अभिलेख निरीक्षक, पटवारी हल्का माण्डेडा सुनारपुरा एवं पटवारी हल्का खानवास स्वंय खातेदार एवं पडौसी खातेदार उपस्थित रहे। उक्त सीमाज्ञान के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा व अडचन दर्शित नही होने कारण, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू—राजस्व अधिनियम बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार लवाण को आदेश दिये जाते है कि ग्राम माण्डेडा सुनारपुरा तहसील लवाण के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2075—2078 खाता संख्या 34 एवं खाता संख्या 171 के अनुसार रेवड मल महावर पुत्र ब्रदीनारायण हिस्सा—पूर्ण जाति कोली सा. मलवास खातेदार रहिन (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा लवाण की आराजी 561/2 रकबा 0.78 है0, खसरा नम्बर 576 रकबा 0.47 है0 व खसरा नम्बर 452 रकबा 0.31 है0, खसरा नम्बर 561/1 रकबा 0.09 हैक्टयर कुल किता—4 कुल रकबा 1.6500 [illegible] पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो उक्त खसरा नम्बरान की पत्थरगढी करने हेतु अनुभवी पटवारियों/भू—अभिलेख निरीक्षको को [illegible] मौका पर जाकर पत्थरगढी की जावे तथा प्रार्थी से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार

उप जिला कलक्टर
लवाण

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithilesh Meena
Date: 2023.06.07 11:11:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांवो के संग
अभियान 2023

प्र.स.:– 09/2022
दायर दिनांक 15.06.2022
निर्णय दिनांक :– 24.05.2023

...को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद ...लेख भण्डार हो।

निर्णय दिनांक 24.05.2023 को प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 ... ग्राम पंचायत खानवास पर मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया तथा मेरे ... व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

मिथलेश मीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
लवाण

उप जिला कलक्टर
लवाण

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.07 11:11:16 IST
Reason: SelfAttested